

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या- वि०प्रा० (II) स्था०-15/2023/

/पटना, दिनांक-

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7027 दिनांक-29.07.2011, विभागीय संकल्प ज्ञापांक-920 दिनांक-29.02.2024 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3467 दिनांक-12.08.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के मानविकी एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत निम्नांकित व्याख्याताओं को सेवा में योगदान की तिथि के पूर्व पीएच०डी० डिग्री धारित रहने के फलस्वरूप उनके सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि के प्रभाव से वेतनमान 15600-39100, एजीपी- 6000/- एवं स्तम्भ-6 में अंकित तिथि के प्रभाव से पाँच गैर संयोजित अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	व्याख्याता का नाम/ संकाय/ पदस्थापित संस्थान का नाम	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	पीएच० डी० उत्तीर्णता की तिथि	पीएच०डी० के एवज में वेतनमान 15600- 39100, एजीपी- 6000/- अनुमान्य किये जाने की प्रभावी तिथि	पीएच० डी० के एवज में गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने की संख्या एवं प्रभावी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मनोज शर्मा, व्याख्याता (अंग्रेजी), राजकीय पोलिटेकनिक, किशनगंज	20.04.2018	Ph.D 17.01.2012	20.04.2018	पाँच  20.04.2018  (पीएच०डी० के एवज में)	---
2.	विनय कुमार, व्याख्याता (अंग्रेजी), राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई	16.04.2018	Ph.D 03.08.2013	16.04.2018	पाँच  16.04.2018  (पीएच०डी० के एवज में)	---
3.	मनीषा कुमारी, व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7	06.08.2018	Ph.D Oct, 2013	06.08.2018	पाँच  06.08.2018  (पीएच०डी० के एवज में)	---
4.	मनोज कुमार, व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार	07.08.2018	Ph.D 02.01.2013	07.08.2018	पाँच  07.08.2018  (पीएच०डी० के एवज में)	---

क्र०	व्याख्याता का नाम/ संकाय/ पदस्थापित संस्थान का नाम	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	पीएच० डी० उत्तीर्णता की तिथि	पीएच०डी० के एवज में वेतनमान 15600- 39100, एजीपी- 6000/- अनुमान्य किये जाने की प्रभावी तिथि	पीएच० डी० के एवज में गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने की संख्या एवं प्रभावी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
5.	अशोक कुमार, व्याख्याता (रसायन), राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़	19.06.2018	Ph.D 15.11.2008	19.06.2018	पाँच  19.06.2018  (पीएच०डी० के एवज में)	—

- ii. उपर्युक्त व्याख्याताओं द्वारा किये गये अनुरोध एवं विकल्प चयन के आधार पर वेतनमान 15600-39100, एजीपी- 6000/- एवं पाँच गैर संयोजित अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य की गयी है।
- iii. उपरोक्त व्याख्याताओं को सेवा में योगदान की तिथि के पूर्व पीएच०डी० डिग्री धारित रहने के फलस्वरूप वेतनमान 15600-39100, एजीपी- 6000/- एवं पाँच गैर संयोजित अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित पीएच०डी० डिग्री की सत्यापन के पश्चात् ही वित्तीय लाभ देय होगा। संबंधित पीएच०डी० डिग्री के सत्यापन का दायित्व संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को दिया जाता है। सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर प्रदान की गई वेतन स्तर एवं गैर संयोजित अग्रिम वेतनवृद्धि संबंधी आदेश को रद्द कर दी जायेगी एवं भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जायेगा तथा संबंधित शिक्षक/कर्मि पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक- वि०प्रा० (II) स्था०-15/2023/

/पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/ परियोजना निदेशक, बिहार कान्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तारामंडल, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक- वि०प्रा० (II) स्था०-15/2023/ 2984 /पटना, दिनांक- 22.05.26

प्रतिलिपि- प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव-सह-निदेशक।

SEC-3/08.05.26

